अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

न्यायालय उपायुक्त, रॉची।

अधिग्रहण वाद सं० 6 आर० 28/2022–23

11
12.09.2023

राज्य,

बनाम्

लक्ष्मी जयसवाल, पिता राम कुमार जयसवाल, निवासी चाय मुहल्ला, सूर्यपूरी, हेसल, थाना सुखदेवनगर, जिला रॉची .... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, रॉची के द्वारा ज्ञापांक 4105/अप०शा०(ग्रा०) दिनांक 08.08.2022 के माध्यम से नगड़ी थाना कांड सं0–82/22 दिनांक 16.05.2022 धारा–353/379/411/414 भा०द०वि० एवं Rule 54 of Jharkhand Minor Minerals Concession Rules, 2004 & Rule 9/11 Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules, 2017 में जप्त हाईवा वाहन सं० – JH-01CE-9570 को राजसात की कार्रवाई करने के अनुशंसा के आधार पर आरम्भ किया गया है।

प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उपरोक्त वादी श्री विश्वनाथ उरॉव पिता स्व० भीखा उरॉव, निवासी उचरी, पो० नगड़ा, थाना माण्डर, जिला रॉवी वर्त्तमान खान निरीक्षक, रॉची, के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त हाईवा वाहन सं० JH-01CE-9570 के मालिक तथा चालक के विरुद्ध अवैध रूप से बालु का उत्खनन एवं परिवहन करने के आरोप के आधार पर दर्ज किया गया है। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षणोंपरान्त इस काण्ड को धारा–353/379/411/414 भा०द०वि० एवं Rule 54 of Jharkhand Minor Minerals Concession Rules, 2004 & Rule 9/11 Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules, 2017 के अन्तर्गत उपरोक्त प्राथमिकी अभियुक्त के खिलाफ सत्य पाया गया है।

विपक्षी को जारी नोटिस बगैर तामीला के वापस आ गया है। तामीलाकर्त्ता के अनुसार चाय मुहल्ला सुर्यापूरी हेसल जाकर लक्ष्मी

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

जयसवाल पिता राम कुमार जयसवाल के बारे मे अगल बगल एवं पुरा मोहल्ला मे पुछताछ किया गया, लेकिन उनके के बारे कुछ पता नही चला। प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता का बहस सुनने के पश्चात् प्रस्तुत वाद अंतिम आदेश पारित करने हेतु निर्धारित किया गया।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी के द्वारा उपरोक्त वाहन मे परिवहन किये जा रहे बालु के वैधानिकता के संदर्भ मे ना तो कोई प्रमाणिक साक्ष्य ना ही तथ्यात्मक कागजात प्रस्तुत किये गये है। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षणोंपरान्त इस काण्ड को धारा–353/379/411/414 भा०द०वि० एवं Rule 54 of Jharkhand Minor Minerals Concession Rules, 2004 & Rule 9/11 Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules, 2017 के अन्तर्गत उपरोक्त प्राथमिकी अभियुक्त के खिलाफ सत्य पाया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहन मे लघु खनिज/बालु का परिवहन अवैध रूप से किया जा रहा था, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान हुआ है।

अतः नगडी थाना कांड सं0–82/22 दिनांक 16.05.2022 में जप्त डम्फर वाहन सं० – JH-01CE-9570 को राजसात किया जाता है।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉंची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉंची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 01:48:33 -08:00
Location: 192.168.1.4